


न्यायालय : सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक राज0

क्रमांक : 170

दिनांक : 21-5-21

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के सर्कुलर नं. 08/पीआई/2021 दिनांक 16.05.2021 एवं श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक के आदेश क्रमांक स्थापना/2021/01/3474 दिनांक 17.05.2021 के अनुसरण में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु इस न्यायालय के फौजदारी एवं दीवानी प्रकृति के प्रकरणों में (अति आवश्यक प्रकृति यथा स्थगन प्रार्थना पत्र, जमानत प्रार्थना पत्र रिमाण्ड, सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र, न्यायिक अभिरक्षा एवं 10 वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों आदि को छोड़कर) निम्न प्रकार से तारीख पेशी निर्धारित की गई थी। उक्त आदेश के अनुसरण में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 139 दिनांक 17.05.2021 में आंशिक संशोधन करते हुये दिनांक 17.09.2021 को स्थानीय अवकाश होने के कारण दिनांक 22.05.2021 को नियत फौजदारी सीगे की पत्रावलियां दिनांक 17.09.2021 के स्थान पर दिनांक 21.09.2021 नियत की जाती है।



सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक राज0

क्रमांक : 174

दिनांक : 21-5-21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आदेश पत्रावली।
2. श्रीमान् नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर), जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक
3. अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, टोंक
4. नोटिस बोर्ड, न्यायालय हाजा, टोंक
5. सिस्टम ऑफिसर जे.एस.सी. जिला न्यायालय टोंक को अपलोड करने हेतु।


सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक राज0